जरिए या नम्बरों की cloning करते हुए अभी भी fraud कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उससे लगता है कि ATM fraud के cases बढ़ रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि 'Digital India' ने हमें लाभ दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन ATM fraud के मामले कम हों, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूँगा कि PIN की जगह या PIN के बाद OTP को mandatory किया जाए। Financial institutions, जो banking system को follow करते हैं, transaction करते हैं, अगर उन पर यह सिस्टम लागू हो जाता है, तो उससे इसमें काफी रुकावट होगी। यह मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि आप इसको जरूर संज्ञान में लें, धन्यवाद।

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Fraudulent activities through online platforms, fake call centers and fake domains of various banks

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ, जो online platforms, फर्ज़ी कॉल सेंटर्स तथा कई बैंकों और उपभोक्ता संस्थानों के फर्ज़ी domain का उपयोग करके कुछ अपराधी तत्वों द्वारा की जा रही गम्भीर धोखाधड़ी के संदर्भ में है। ये साइबर अपराधी बिना सोचे-समझे उपभोक्ताओं को call करते हैं, call करके उनसे KYC नंबर की बात करते हैं और मानदंडों को सत्यापित भी कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो वे बैंक खाते के निष्क्रिय होने तक की बात मोबाइल पर लिख कर भेज देते हैं। स्वाभाविक रूप से आदमी घबरा कर उनसे OTP को share कर देता है। परिणाम यह होता है कि अचानक उपभोक्ता के खाते से न

जाने कितने पैसे निकल जाते हैं। मुझे इस तरह के कई मामले पता चले हैं, जिनमें पीएनबी का एक ताज़ा मामला भी शामिल है, जहां सम्बन्धित बैंक से लेन-देन की चेतावनी और पुष्टिकरण का संदेश भी नहीं मिला था, लेकिन पैसा वापस ले लिया गया। कुछ मामलों में तो क्रेडिट सीमा से भी अधिक पैसा निकाल लिया जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि जितनी क्रेडिट सीमा थी, उससे भी अधिक पैसा निकाल लिया गया। सामान्य परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट सीमा से अधिक पैसा निकालता है, तो वह बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं होता है, लेकिन ऐसे मामलों में वह भी अनुमोदित हो रहा है। यह काफी हैरान करने वाला विषय है कि सम्बन्धित बैंक ऐसे साइबर अपराधियों तथा धोखाधड़ी करने वालों को निकासी की अनुमति कैसे दे रहे हैं! माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। बैंकों द्वारा चेतावनी दिए बिना ऐसी निकासी को जो बहाल किया जा रहा है, तो जिन उपभोक्ताओं का पैसा धोखाधड़ी में चला गया है, उनको उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। बहुत कहने के बावजूद भी बैंक वाले पैसा वापस देने को तैयार नहीं होते हैं, उल्टा बार-बार लिख कर देते रहते हैं। अभी अगर हम अपने मोबाइल के बारे में भी बताएं, तो हमारे मोबाइल में भी इस प्रकार के कई संदेश आते रहते हैं। अगर ऐसे संदेशों को डिलीट न किया जाए, तो उनके आधार पर हम लोग फंस भी सकते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस विषय पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री सभापति : सबको ऐसे मैसेज आते रहते हैं - 'आपको पांच लाख की लॉटरी मिली'। केवल पांच रुपये देने से क्या पांच लाख की लॉटरी मिलेगी?

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Shiv Pratap Shukla.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Shiv Pratap Shukla.

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Shiv Pratap Shukla.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Shiv Pratap Shukla.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Shiv Pratap Shukla.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the Special Mentions. Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SPECIAL MENTIONS

Demand to recognize PG Diploma in Clinical Cardiology from IGNOU

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, PG Diploma in Clinical Cardiology (PGDCC) doctors, after MBBS, have done two years' full-time course from IGNOU. The IGNOU applied to the Medical Council of India for recognition in 2010 and 2012, which were rejected. The PGDCC doctors appealed in the Delhi High Court, which got decided in their favour on 17.09.2019, stating that IGNOU did not require prior MCI permission, quashing Section 10A(1)(b)(i) and that the MCI should not rely on Post-Graduation Medical Education Regulations, 2000 (PGMER). The Court directed the Government of India, in consultation with MCI, to reconsider recognition of PGDCC under Section 11(2) of the IMC Act on merits. The IGNOU again applied to the MCI for the PGDCC recognition. The MCI, on 18.12.2019, did not recommend PGDCC recognition, by relying on the PGMER, 2000 (although it was prohibited by the Court). The IGNOU submitted response to MCI's rejection to the Ministry of Health and Family Welfare, and, in turn, the Ministry directed the Board of Governors, MCI, to re-evaluate PGDCC course for recognition. Hon. Union Health Minister held two meetings on 06.08.2020 and 19.01.2021, wherein all stakeholders unanimously agreed that PGDCCs are worthy of being recognised as Clinical Cardiologists. Thereafter, the Ministry of Health and Family Welfare sent repeated reminders to the National Medical Commission. Meanwhile, similar two-year post-MBBS Diploma in Cardiology by GVSM Medical College, Kanpur, and Diploma in Non-Invasive Cardiology from AIIMS, Rishikesh, were recognised in 2019-2021. Why has PGDCC recognition as Clinical Cardiologists got delayed after 18 months of Delhi High Court order dated 17.09.2019? Why has the Board of Governors, MCI, again relied upon PGMER, 2000, although the Delhi High Court